



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2014/ज्येष्ठ 21, 1936

No. 310]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2014/JYAISTHA 21, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2014

सा.का.नि. 394(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि नियम, 1983 के नियम 20ख के उप-नियम (4) के अनुसरण में, यह अधिसूचित करती है कि 1 जून, 2014 से प्रारंभ होने वाली और 31 जुलाई, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए विपणन और संवर्धन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन तीन हजार तीन सौ रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से होगा।

[फा. सं. 20(90)/2013-एसपी-1]

टी. जेकब, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—इस संबन्ध में पूर्व की अधिसूचना दिनांक 7 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 326(अ) के द्वारा जारी की गई थी।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2014

G.S.R. 394(E).—In pursuance of sub-rule (4) of rule 20B of the Sugar Development Fund Rules, 1983, the Central Government hereby notifies that the incentive towards marketing and promotion services for raw sugar production for the period beginning from 1st June, 2014 and ending on 31st July, 2014, shall be at the rate of rupees three thousand three hundred per metric tonne.

[F. No. 20(90)/2013-SP-I]

T. JACOB, Jt. Secy.

Note:—The earlier notification in this regard was issued *vide* notification number G.S.R. 326 (E), dated the 7th May, 2014.